

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2405] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939 No. 2405] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2744(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिलया के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(1)	जिलाधिकारा, बालया	- अध्यक्ष ;
(ii)	अधिशासी अभियंता, (प्रांतीय प्रभाग), लोक निर्माण विभाग, बलिया	- स द स्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई-I, सिंचाई विभाग, बलिया	- स द स्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया	- स द स्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, बलिया	- स द स्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़	- स द स्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी, बलिया	- सदस्य व संयोजक.

ख- नामित सदस्यगण:

(i) श्री रमेश कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बलिया - सदस्य;

5231 GI/2017 (1)

- (ii) श्रीमती संध्या गुप्ता, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बलिया सदस्य;
- (iii) श्री विजय कान्त पांडे, ग्राम प्रधान, ग्राम केहरापुर, ब्लॉक- बैरिया, सदस्य; बलिया
- (iv) डॉ.गणेश शंकर पाठक, अमर पी. जी. कॉलेज, दुबे छपरा बलिया सदस्य;
- (v) डॉ. संजय त्रिपाठी, टाउन डिग्री कॉलेज, बलिया सदस्य;
- (vi) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, सदस्य.
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2744(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Ballia of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(i) District Magistrate, Ballia Chairperson; Executive Engineer (Provincial Division) Public Works Department, Ballia Member; (ii) Executive Engineer Irrigation-I, Ballia Member: (iii) Chief Medical Officer, Ballia (iv) Member: (v) Executive Engineer, Jal Nigam, Ballia Member; Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh Member: (vi) (vii) District Forest Officer, Ballia - Member and Convenor.

B. Nominated Members:

(i) Sri Ramesh Kumar Singh, Apar Mukhya Adhikari, Zila Panchayat, Ballia Member;

(ii)	Smt. Sadhana Gupta, Chairman, Nagar Palika Parishad, Ballia	-	Member;
(iii)	Sri .Vijay kant Pandey, Gram Pradhan Village Keharpur, Block-Bairiya, Ballia	-	Member;
(iv)	Dr. Ganesh Shankar Pathak, Amar P. G. College, Dubey Chhapara, Ballia	-	Member;
(v)	Dr. Sanjay Tripathi, Town Degree College, Ballia	-	Member;
(vi)	Shri Ashok kumar Gupta, President, Uttar Pradesh Udyog Vyapar Mandal, Unit-Ballia	-	Member.

- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2745(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फतेहपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(1)	जिलाधिकारा, फेतहपुर	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, लोक	- स द स्य;
	निर्माण विभाग, फतेहपुर	
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, फतेहपुर	- सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, फतेहपुर	- सदस्य;
(vi)	सहायक अभियंता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फतेहपुर	- सदस्य;
(vii)	जिला वन अधिकारी, फतेहपुर	- सदस्य व संयोजक.

ख- नामित सदस्यगण:

(i) श्री अशोक कुमार सरोज, जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर - सदस्य;

Member:

Member;

- (ii) श्री नीरज, ग्राम प्रधान, गाजीपुर खुर्द, हथगम, फतेहपुर सदस्य;
- (iii) श्री अनिल कुमार, ग्राम प्रधान, बघौली, आर्यन, फतेहपुर सदस्य;
- (iv) श्री शैलेंद्र शरण (सिंपल), पर्यावरणविद, फतेहपुर सदस्य.
- (v) श्री पंकज त्रिवेदी, पर्यावरणविद, फतेहपुर सदस्य;
- (vi) श्री दीपक श्रीवास्तव, महा प्रबन्धक, लक्ष्मी कॉटन मिल्स, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, मलवां, सौरा, फतेहपुर
- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Fatehpur of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

	(i)	District Magistrate, Fatehpur	 Chairperson;
	(ii)	Executive Engineer, Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Public Works	
		Department, Fatehpur	- Member;
	(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department, Fatehpur	- Member;
	(iv)	Chief Medical Officer, Fatehpur	- Member;
	(v)	Executive Engineer, Jal Nigam, Fatehpur	- Member;
	(vi)	Assistant Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Fatehpur	- Member
	(vii)	District Forest Officer, Fatehpur	- Member and Convenor.
В.	Nomin	nated Members:	
	(i)	Shri Ajay Kumar Saroj, District Panchayat Raj Officer, Fatehpur	- Member;
	(ii)	Shri Neeraj, Gram Paradhan Gazipur Khurd, Hathgam, Fatehpur	- Member;
	(iii)	Shri Anil Kumar, Gram Pradhan Baghauli, Arayan, Fatehpur	- Member;
	(iv)	Shri Shailendra Sharan (Simpal), Environmentalist	- Member;

 (v) Shri Pankaj Trivedi, Environmentalist
 (vi) Shri Deepak Srivastava, General Manager, Laxmi Cotton Mills, Uttar Pradesh State Industrial Development Coorporation, Malwan, Saura Fatehpur

- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)] RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2746(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला हापुड़ के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिला कलेक्टर, हापुड़	- अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, हापुड़	- सदस्य ;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, हापुड़	- सदस्य ;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, हापुड़	- सदस्य ;
(vi)	प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हापुड़	- स द स्य;
(vii)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, हापड	- सदस्य व संयोजक.

ख- नामित सदस्यगण :

(i)	उप जिलाधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर	-	सदस्य;
(ii)	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गढ़मुक्तेश्वर	-	सदस्य;
(iii)	खंड विकास अधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर	-	सदस्य;
(iv)	श्री अशोक कुमार बबली पुत्र श्री शांति प्रसाद, भगवती गंज, हापुड़	-	सदस्य.
(v)	श्री विजेंद्र कुमार पुत्र श्री मदन लाल तिवारी, 2-1/626, देवलोक कालोनी, हापुड़, वरिष्ठ महामंत्री, हापुड़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि	-	सदस्य.
	मण्डल, हापुड़		

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2746(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Hapur of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

Ex-off	icio Members:	
(i)	District Collector, Hapur	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Public Works Department, Hapur	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Irrigation Department, Hapur	- Member;
(iv)	Chief Medical Officer, Hapur	- Member;
(v)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Hapur	- Member;
(vi)	Representative of Pollution Control Board, Hapur	- Member;
(vii)	Divisional Director, Social Forestry, Hapur	- Member and
		Convenor.

B. Nominated Members:

- (i) Sub-Divisional Magistrate, Garhmukteshwer Member;
- (ii) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Garhmukteshwer, Member;
- (iii) Block Development Officer, Garhmukteshwer Member;
- (iv) Sri Ashok Kumar Babli, S/o. Sri Shanti Prasad,
 Bhagwati Ganj, Hapur Member;
- (v) Sri Vijendra Kumar, S/o- Sri Madan Lal Tiwari, 2-1/626- Devlok Colony,
 Hapur, Varisth Mahamantri, Hapur Udyog Vyapar Pratinidhi Mandal,
 Hapur
 Member.
- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)] RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2747(अ).— केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रतापगढ़ के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, प्रतापगढ़	-	अध्यक्ष;
(ii)	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(iii)	सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(iv)	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य विभाग, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(v)	अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(vi)	वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(vii)	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रतापगढ -	सदस्य व	संयोजक.

ख- नामित सदस्यगण:

(i)	श्री कुँवर सिंह यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(ii)	श्री राम नरेश मौर्य, अध्यक्ष, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(iii)	श्रीमती मंजु सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, मुहम्मदाबाद, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(iv)	श्री बी. पी. मौर्य, वैज्ञानिक सहायक, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(v)	श्री एम. ए. सिद्दीकी, निगरानी सहायक, प्रतापगढ़	-	सदस्य;
(vi)	श्री प्रताप बहादर आहजा. चैम्बर ऑफ इंडस्टीज. प्रतापगढ	_	सदस्य.

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- जिला गंगा सुरक्षा सिमिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2747(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the

Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Pratapgarh of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, Pratapgarh	- Chairperson;
(ii)	Assistant Engineer, Public Works Department, Pratapgarh	- Member;
(iii)	Assistant Engineer, Irrigation Department, Pratapgarh	- Member;
(iv)	Deputy Chief Medical Officer, Public Health Department, Pratapgarh	
		- Member;
(v)	Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Pratapgarh	- Member;
(vi)	Scientist Assistant, State Pollution Control Board, Pratapgarh	- Member;
(vii)	Divisional Director, Social Forestry, Pratapgarh	- Member and Convener.

B. Nominated Members:

(i)	Shri Kunwar Singh Yadav, District Panchayat Raj Adhikari, Pratapgarh	-	Member;
(ii)	Shri Ram Naresh Maurya, Chairman, Nagar Panchayat, Manikpur, Pratapgarh	-	Member;
(iii)	Smt. Manju Singh, Pradhan, Gram Panchayat, Muhammadabad, Pratapgarh	-	Member;
(iv)	Shri B.P. Murya, Scientist Assistant, Partapgarh	-	Member;
(v)	Shri M.A. Siddiqui, Monitoring Assistant, Pratapgarh	-	Member;
(vi)	Shri Pratap Bahadur Ahuja, President, Chamber of Industries, Pratapgarh	-	Member

- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)] RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2748अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986

(1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा बिहार राज्य के जिला वैशाली के लिए जिला गंगा सुरक्षा सिमित नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क- पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, वैशाली		-	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर		-	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हाजीपुर		-	सदस्य;
(iv)	असैनिक शल्य चिकित्सक- सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली	-		सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, वैशाली		-	सदस्य;
(vi)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हाजीपुर एवं महनार		-	सदस्य;
(vii)	सचिव, राज्य प्रदूषण बोर्ड, बिहार, पटना		-	सदस्य;
(viii)	जिला वन पदाधिकारी, वैशाली -	सदस्य	व र	पंयोजक.

ख- नामित सदस्यगण:

(i)	उप विकास आयुक्त, वैशाली	-	सदस्य;
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर एवं नगर पंचायत,	-	सदस्य;
	महनार		
(iii)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली	-	सदस्य;
(iv)	श्री रवीद्र कुमार, सचिव, उद्योग संघ, वैशाली	_	सदस्य.

- 2. जिलाधिकारी, वैशाली, राज्य गंगा समिति के मंजूरी के साथ, प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के उप-पैरा (2) के खंड (घ) के अनुसार दो पर्यावरणविद नामित कर सकते हैं।
- 3. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 4. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 5. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 6. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अविध के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2748(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Vaishali of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

A. Ex-officio Members:

(i)	District Magistrate, Vaishali	- Chairperson;
(ii)	Executive Engineer, Road Construction Department, Hajipur	- Member;
(iii)	Executive Engineer, Small Irrigation Division, Hajipur	- Member;
<i>.</i> • \		
(iv)	Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Vaishali	- Member;
(v)	Executive Engineer, Public Health Department, Hajipur	- Member;
(vi)	Executive Engineer, Rural Affairs Department, Hajipur and Mahnar	- Member;
(vii)	Secretary, State Pollution Board, Bihar, Patna	- Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Vaishali	- Member and Convenor.

B. Nominated Members:

- (i) Deputy Development Commissioner, Vaishali Member;
 (ii) Executive Officer, Nagar Parishad, Hajipur and Nagar Panchayat, Mahnar Member;
 (iii) District Panchayat Raj Officer, Vaishali Member;
 (iv) Shri Ravindra kumar, Secretary, Udhyog Sangh, Vaishali Member.
- 2. District Magistrate, Vaishali to nominate two Environmentalists as per clause (d) of sub-para (2) of paragraph 53 of said notification with the approval of State Ganga Committee.
- 3. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 4. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 5. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 6. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)] RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga